Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में पुलिस पार्टी पर फायर करने की घटना कारित करने के आरोपी अब्दुल S/O भूरे को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 03 वर्ष 14 दिन कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अब्दुल S/O भूरे निवासी ग्राम खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ के द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 274/2023 धारा 307, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 18-11-2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अब्दुल को दोषी पाते हुये 03 वर्ष 14 दिन का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।



नि0 श्री पप्पू सिंह ठेनुआ प्रभारी मॉनिटरिंग सैल



श्री गगन गौड एडीजीसी



का0 सुनील कुमार कोर्टपैराकार

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 18.11.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 798/26 धारा 115(2)/105 बीएनएस मे वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।



संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.11.26 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री राजवीर सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत ने प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तों द्वारा ई-रिक्शा को लापरवाही से चलाना जिससे ई-रिक्शा पलट जाना जिसमें बैठे वादी के पुत्र सौरभ नीचे दब जाना एवं जिला अस्पताल में मृत्यु हो जाना। इस सम्बध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 798/26 धारा 281/125(बी)/106(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 281/125(बी)/106(1) बीएनएस का विलोपन कर धारा 115(2)/105 बीएनएस में तब्दील किया गया है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 798/26 धारा 115(2)/105 बीएनएस से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अवनीश पुत्र धर्मवीर उम्र 31 वर्ष मो0न0 8168155384 निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत

2-ताहिर पुत्र जानू उर्फ जान मौहम्मद उम्र 26 वर्ष मो0न0 7830652394 निवासी ग्राम खुब्बीपुर निवाडा निकट पैट्रोल पम्प थाना बागपत व

3-शकील पुत्र ननवा उम्र 24 वर्ष मो0न0 7452973857 निवासी ग्राम खुब्बीपुर निवाडा थाना बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री राहुल कुमार व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-का0 463 पवन नागर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-का0 477 हरेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना रमाला दिनाँक 18.11.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 261/26 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी करने का प्रयास करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से छीना हुआ 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 बरामद।



संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 17.11.2026 को वादी श्री अशोक कुमार पुत्र तिरशपाल सिंह निवासी ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत से वादी का एक मोबाइल ओप्पो A-15 को छीनकर 03 अभियुक्त मोटर साईकिल पर सवार भागने लगे तथी वादी व जनता के लोगों द्वारा तीनों अभियुक्तों को पकडकर थाने लाया गया, थाना रमाला पुलिस द्वारा अभियुक्तों 1.देव 2.मोनू 3.अंकुर को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से छीना हुआ 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 बरामद हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 261/26 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.देव (उम्र 19 वर्ष) पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत

2.मोनू (उम्र 25 वर्ष) पुत्र बलजोर निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत
3.अंकुर (उम्र 21 वर्ष) पुत्र रोहताश निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- छीना हुआ 01 मोबाइल फोन
- घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 न0 UP75L1995

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है0का0 803 फत्तेलाल थाना रमाला जनपद बागपत।
2-हो0गा0 563 इरफान अली थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना छपरौली दिनाँक 18.11.2026

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 209/26 धारा 109(1)/ 115(2)/ 352 बीएनएस व 3(2)(V)एससी/एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-



दिनाँक 03.09.26 को थाना छपरौली पर वादी श्री सतीश कुमार पुत्र हरगुलाल सिंह निवासी पट्टी धन्धान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.कन्हैया पुत्र नामालूम निवासी पट्टी भुवाला कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत, 2.सैकी पुत्र कृष्ण निवासी पट्टी धन्धान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा वादी के पुत्र रोहित के साथ गाली-गलौच करना व जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हूए धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से प्रहार करना जिससे वादी के पुत्र का बेहोश

होकर गिर जाना। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0स0 209/2026 धारा 109(1)/115(2)/352 बी0एन0एस0 3(2)v एस0सी0एस0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 209/26 धारा 109(1)/ 115(2)/ 352 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है , अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सैंकी उर्फ विशेष पुत्र कृष्णपाल निवासी पट्टी धंधान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री नवनीत कुमार थाना छपरौली।
2- है0का0 440 राशिद खान थाना छपरौली।
3- है0का0 489 सुनील कुमार थाना छपरौली।
4. का0 597 प्रेमपाल थाना छपरौली।
5. रि0का0 107 अमन कुमार थाना छपरौली

प्रेसनोट जनपद बागपत दिनांक 18-11-2026

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में पिछले 24 घंटे के दौरान इनामी,वांछित/चोरों एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत बागपत पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही निम्नवत् है-

वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी(कुल 04 अभियुक्त)-

1- थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 209/26 धारा 109(1)/ 115(2)/ 352 बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

2- थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 798/26 धारा 115(2)/105 बीएनएस मे वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

छिनैती में गिरफ्तार (कुल 03 अभियुक्त)

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 261/26 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी करने का प्रयास करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से छीना हुआ 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 बरामद।

पुलिस मुठभेड में सजा सुनाई गई-

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में पुलिस पार्टी पर फायर करने की घटना कारित करने के आरोपी अब्दुल S/O भूरे को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 03 वर्ष 14 दिन कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी(कुल- 01)

1-थाना छपरौली -01

धारा 170 बीएनएसएस की कार्यवाही-(कुल 15 व्यक्ति)

1-थाना कोतवाली बागपत से 04 व्यक्ति।
2-थाना सिंघावली अहीर से 01 व्यक्ति।
3-थाना खेकड़ा से 03 व्यक्ति।
4-थाना बालैनी से 01 व्यक्ति।
5-थाना दोघट से 02 व्यक्ति।
6-थाना रमाला से 04 व्यक्ति।